

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

वि.आप.प्रक.कमांक-20 / 2013

संस्थित दिनांक-19.02.2013

फाईलिंग क.234503001492014

1-समलीबाई उर्फ शीतल पति महेन्द्र मरकाम, उम्र-28 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम किडंगीटोला, पुलिस चौकी डोरा, तहसील बैहर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - **आवेदिका**

// **विरुद्ध** //

महेन्द्र मरकाम पिता अजाबसिंह, उम्र-30 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम बडगांव, थाना परसवाड़ा, तहसील परसवाड़ा,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - **अनावेदक**

// **आदेश** //

(आज दिनांक-19/08/2015 को घोषित)

1- इस आदेश द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा-125 द.प्र. सं. वास्ते भरण-पोषण राशि का निराकरण किया जा रहा है।

2- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि आवेदिका, अनावेदक की विवाहिता पत्नी है।

3- आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक ने विवाह के पश्चात् से उसे अपने घर ग्राम बडगांव में लगभग 8-10 दिन तक सुखपूर्वक रखा, उसके पश्चात् दहेज की मांग को लेकर आवेदिका के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित करने लगा। आवेदिका को अनावेदक के संसर्ग से एक पुत्री उत्पन्न हुई, अनावेदक ने लगभग दो वर्ष पश्चात् आवेदिका को मारपीट कर दहेज की मांग को लेकर घर से निकाल दिया, तब से आवेदिका अपनी 9 माह की पुत्री शकीला को लेकर अपने मायके आ गई। अनावेदक ने आवेदिका के मायके में आकर उसके साथ मारपीट कर पुत्री शकीला को अपने साथ लेकर गया और उसके बाद से आज तक पुत्री से मिलने नहीं दिया। आवेदिका लगभग दो वर्ष से अपने मायके में निवासरत् है, इस बीच अनावेदक ने उसकी कोई खोज-खबर ली और न ही उसके भरण-पोषण की व्यवस्था की है। आवेदिका अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है तथा अनावेदक के पास

8 एकड़ कृषि भूमि है, फसल पैदा कर तथा रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरी कर आय अर्जित कर लेता है। अतएव आवेदिका को 5,000/-रूपये प्रति माह भरण-पोषण की राशि अनावेदक से दिलाया जावे।

4- अनावेदक ने अपने जवाब में स्वीकृत तथ्य छोड़कर आवेदन पत्र से इंकार करते हुए व्यक्त किया है कि आवेदिका विवाह उपरान्त उसके साथ 6-7 माह तक ठीक से रही, उसके बाद वह शराब पीकर अनावेदक व उसकी माँ से अनावश्यक विवाद करने लगी। आवेदिका को अनावेदक के संसर्ग से पुत्री का जन्म होने के बाद वह और अधिक शराब पीकर अनावेदक की माँ से झगड़ा कर उसे मारपीट करना शुरू कर दिया। आवेदिका को शराब पीने से मना करने पर वह अपने मायके ग्राम किङ्गीटोला चले गई, जिसके बाद अनावेदक उसे चार-पांच बार लेने गया, किन्तु आवेदिका ने अनावेदक के साथ आने से इंकार कर दिया। दिनांक-13.02.13 को आवेदिका स्वयं अनावेदक के घर आकर उससे संबंध समाप्त कर तलाक लेने की बात कही, जिस पर अनावेदक ने गांव समाज के पंचों को बुलाकर समझाईश देने बुलाया, किन्तु आवेदिका नहीं मानी और पंचों के सामने विवाह-विच्छेद का एक तलाक पत्र लिखकर अनावेदक को देकर वापस चली गई। आवेदिका ने स्वयं अनावेदक का त्याग कर अपनी ईच्छा से मायके में निवासरत् होने से उसे अनावेदक को कोई भरण-पोषण राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। अतएव आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या आवेदिका पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही हैं ?
2. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होकर आवेदिका के भरण-पोषण में उपेक्षा बरत रहा है?
3. क्या आवेदिका, अनावेदक से 5,000/- रूपये प्रतिमाह भरण-पोषण राशि प्राप्त करने की हकदार है ?

विचारणीय बिन्दु क.-1 से 3 पर एक साथ सकारण निष्कर्ष :-

6- आवेदिका समलीबाई (आ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि अनावेदक महेन्द्र मरकाम उसका पति है। महेन्द्र से उसकी शादी वर्ष 2000 में ग्राम किङ्गीटोला में हुई थी। शादी के बाद वह अपने ससुराल ग्राम बड़गांव में रहने लगी। वह अपने ससुराल में दो वर्ष तक रही। शादी के लगभग 8-15 दिन तक अच्छे से रखे और लड़ाई-झगड़ा करने लगे। उसका पति उससे दहेज में सोने की अंगूठी तथा रंगीन टी.वी. की मांग कर प्रताड़ित करने लगा, किन्तु उसने इस बात की रिपोर्ट नहीं की थी। उसने रिपोर्ट इसलिए नहीं की थी कि उसके पति के व्यवहार में परिवर्तन आने की

आशा थी। अनावेदक से उसे एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम शकीला है, जो वर्तमान में उसके पति अनावेदक के पास रहती है। उसके पति ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था तब वह अपनी पुत्री को लेकर मायके आ गई थी। शकीला के साथ वह अपने मायके में लगभग 8-15 दिन रही तत्पश्चात् उसका पति महेन्द्र आया और उसके मना करने के पश्चात् भी पुत्री शकीला को अपने साथ ले गया। उसने बहुत समझाने का प्रयास किया, किन्तु वह पुत्री को साथ ले गया। दहेज के लिए परेशान करने पर उसने दहेज वाली बात अपनी माँ तथा भाई को बताई थी, तब उसके भाई ने घर की बैल जोड़ी बेचकर आठ हजार रुपये अनावेदक को दिया था। आठ हजार रुपये लेने के पश्चात् भी अनावेदक उसे लगातार प्रताड़ित करते रहा। वह लगभग तीन वर्ष से अपने मायके में ही रहती है तब से आज तक अनावेदक उसे लेने नहीं आया और न ही कोई खोज-खबर लेता है। अनावेदक ने उसके भरण-पोषण की कोई व्यवस्था नहीं किया है।

7— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि उसे अपने स्वयं के भरण-पोषण, दवाई इत्यादि में पांच हजार लगभग खर्च आता है। वह बीमार रहती है, इसलिए बनी मजदूरी करने नहीं जा सकती और उक्त राशि पांच हजार रुपये वहन करने में सक्षम नहीं है। अनावेदक महेन्द्र की ग्राम बड़गांव में लगभग 6 एकड़ दो फसली जमीन है। अनावेदक को उससे लगभग 80 क्विंटल धान एवं गेहूं, चना भी हो जाता है। पंचायत तथा अन्य कामों में मजदूरी में लगभग दस हजार रुपये महिना कमा लेता है।

8— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने पंचायत में अनावेदक से तलाक ले लिया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने अनावेदक के नाम से भूमि संबंधी दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किये हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का अनावेदक की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस कारण साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

9— अनावेदक ने अपने पक्ष समर्थन में स्वयं तथा अन्य किसी साक्षी के कथन नहीं कराए हैं। इस प्रकार अनावेदक के द्वारा बचाव में लिये गए तथ्यों को साक्ष्य के माध्यम से न्यायालय में प्रमाणित नहीं किया गया है। आवेदिका ने अपने न्यायालयीन कथन में अनावेदक से उसका तलाक होना अस्वीकार किया है। इस प्रकार प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य विवाह विच्छेद होने का तथ्य प्रमाणित नहीं है।

10— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक के द्वारा आवेदिका को दहेज की मांग को लेकर आवेदिका से मारपीट की जाती रही है तथा आवेदिका मजबूरन अपने मायके में निवासरत् है। इस प्रकार आवेदिका पर्याप्त कारण से अनावेदक से पृथक निवासरत् होने का तथ्य प्रमाणित है।

11— प्रस्तुत साक्ष्य यह तथ्य भी प्रमाणित होता है कि अनावेदक ने आवेदिका को उसके मायके में रहते हुए आवेदिका के भरण—पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की तथा आवेदिका अपना भरण—पोषण करने में सक्षम नहीं है। आवेदिका ने अनावेदक के पास कृषि योग्य भूमि होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, किन्तु आवेदिका की मौखिक साक्ष्य का अनावेदक की ओर से खण्डन नहीं किया गया है कि अनावेदक के पास कृषि भूमि से वह 80 क्विंटल धान, गेहूं और चना प्राप्त कर तथा पंचायत के कामों में मजदूरी से आय अर्जित करता है। इस प्रकार अनावेदक द्वारा कृषि भूमि से फसल प्राप्त कर एवं मजदूरी का कार्य कर प्रतिमाह 6 हजार रुपये आय अर्जित करने की उपधारणा की जा सकती है।

12— अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होकर आवेदिका के भरण—पोषण में उपेक्षा बरत रहा है। अनावेदक पर स्वयं के अलावा उसकी पुत्री, जो अनावेदक के साथ निवासरत है, के भरण—पोषण की व्यवस्था भी की जा रही है। अनावेदक पर आवेदिका के भरण—पोषण का विधिक दायित्व है, जिसका निर्वहन अनावेदक के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस कारण आवेदिका स्वयं के भरण—पोषण हेतु अनावेदक से राशि प्राप्त करने की हकदार है।

13— आवेदिका को अनावेदक की पत्नी के रूप में ऐसा जीवन स्तर के निर्वहन का अधिकार है, जो कि न तो विलासिता पूर्ण हो और न ही अभाव ग्रस्त बल्कि वह अनावेदक के सामाजिक स्तर व चरित्र के अनुसार सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों के विश्लेषण उपरान्त आवेदिका का आवेदन पत्र स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि अनावेदक भरण—पोषण राशि के रूप में आवेदिका को राशि 1,000 /—(एक हजार रुपये) प्रतिमाह आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अदा करे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट